

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 457]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011—आश्विन 18, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. बी-7(ए)-15-2011-2-पांच-(31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती नियम, 1982 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में,—

- (एक) खण्ड (ख) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक "20" स्थापित किया जाए;
(दो) खण्ड (ग) में, अंक "5" के स्थान पर अंक "10" स्थापित किया जाए.

(2) नियम 15 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“ (2) आबकारी हेड कान्सटेबल से आबकारी उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पांच वर्ष की सेवा, केवल वे व्यक्ति, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्डरी (पुरानी पद्धति) से अथवा हायर सेकण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2 पद्धति) से उत्तीर्ण हों, पदोन्नत किए जाएंगे.”;

(3) अनुसूची एक तथा दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

**“ अनुसूची-एक
(नियम 4 तथा 5 देखिए)**

सेवा में सम्मिलित पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
1. आबकारी उप-निरीक्षक	604	मध्यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रुपये 5200—20200+ग्रेड पे 2800
2. आबकारी हेड कान्सटेबल	244	मध्यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रुपये 5200—20200+ग्रेड पे 2100
3. आबकारी कान्सटेबल	1037	मध्यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	रुपये 5200—20200+ग्रेड पे 1900

**अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)**

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिसके लिये भर्ती की जानी है (2)	पदों की कुल संख्या (3)	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		चयन समिति के सदस्य (6)
			सीधी भर्ती द्वारा (4)	नियम 6 (ख) के अधीन सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (5)	
वाणिज्यिक कर विभाग आबकारी संगठन	1. आबकारी उप निरीक्षक	604	70 प्रतिशत 20 प्रतिशत अनुसूची पांच की स्कीम के अनुसार लिपिकवर्गीय हेड कान्सटेबल एवं कान्सटेबल सेवा से चयन द्वारा.	10 प्रतिशत हेड कान्सटेबल से पदोन्नति द्वारा	संभागीय उपायुक्त —अध्यक्ष आबकारी आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट दो जिला आबकारी अधिकारी — सदस्य
	2. आबकारी हेड कान्सटेबल	244	-	100 प्रतिशत आबकारी कान्सटेबल के पद से पदोन्नति द्वारा	—तदैव—
	3. आबकारी कान्सटेबल	1037	100 प्रतिशत	-	—तदैव— ”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. बी-7(ए)-15-2011-2-पांच-(31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7(ए)-15-2011-2-पांच-(31), दिनांक 10 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th October 2011

No. B-7(A)15-2011-2-V (31).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Excise Sub-ordinate Services Class III (Executive) Recruitment Rules, 1982, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In rule (6),—

(i) in clause (b), for the figure “25”, the figure “20” shall be substituted;

(ii) in clause (c), or the figure “5”, the figure “10” shall be substituted.

(2) For sub-rule (2) of rule 15, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) Five years service for promotion of excise Head Constables to the post of excise Sub-Inspector. Only those person shall be promoted who have passed higher secondary examination (old pattern) or higher secondary certificate examination in (10+2 pattern) from recognized Board.”.

(3) For Schedule 1 and 2, the following Schedules shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I
(See rule 4 and 5)

Name of the post included in the service (1)	No. of posts (2)	Classification (3)	Pay Scale (4)
1. Excise Sub-Inspector	604	Madhya Pradesh Excise Class III (Executive)	Rs. 5200-20200+Grade Pay 2800.
2. Excise Head Constable	244	Madhya Pradesh Excise Class III (Executive)	Rs. 5200-20200+Grade Pay 2100.
3. Excise Constable	1037	Madhya Pradesh Excise Class III (Executive)	Rs. 5200-20200+Grade Pay 1900.

SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of the Department	Name of the post to which recruitment is to made	Total No. of posts	Percentage of number of posts to be filled		Member of Selection Committee
			By direct recruitment	By promotion of members of service under rule 6(b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commercial Tax Department Excise Organization	1. Excise Sub-Inspector	604	70 percent 20 percent by selection from ministerial head Constable and Constable service as per scheme of Schedule V.	10 percent by promotion from Head Constable	Divisional Deputy Commissioner—Chairman Two District Excise Officer nominated by the Excise Commissioner—Member.
	2. Excise Head Constable	244	-	100 percent by promotion from the post of Excise Constable	—do—
	3. Excise Constable	1037	100 percent	-	-

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy